





# फर्द अहकाम

गोपाल लाल बनाम लालचन्द वगै०

दावा पत्र संख्या: 153/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

| क्रम संख्या | दिनांक     | विवरण   | विशेष विवरण   |
|-------------|------------|---|---|
|             | 30.05.2024 | <p>वकील वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 13.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>उप खण्ड अधिकारी</b><br/> <b>जयपुर (द्वितीय)</b> </p>  | <p> <br/> <b>3821-24</b><br/> <b>7/6/24</b> </p> |
|             | 13/6/24    | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर वकील वादी ने डाकघर रजिस्ट्री रसीद पेश की। श. कि. ही। नाले पेश काले डेक रिपोर्ट हेतु डि० 18/7/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p>   |   |
|             | 18/7/24    | <p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपर उपरि उल्लेखित नहीं। वक्त उपरि उल्लेखित वादी व उनके अधिवक्ता को वाट वाट आवाज लगाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उरण नहीं होने से वादी का वाट अदम खजरी बस परेवी में खालि किया जाता है। पत्रावली केवल शुभाट हेतु, दर्ज नम्या हे कम है, वाट तकनीक शक्ति यफ्त है।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p> |   |

